



05/02/24

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

—:: विज्ञप्ति ::—

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के मानदण्डानुसार अहंता प्राप्त आवेदकों से आवश्यकता रहने तक आधार सत्रांत तक जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिये नितांत अस्थाई आधार पर निम्नांकित विषयों में विजिटिंग विद्यानों की आवश्यकता है। आवेदन दिनांक 13/02/2024 दोपहर 1 बजे तक कुलसंचय विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम से संबंधित अध्ययनशाला को प्रेषित करें।


आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। आवेदन के साथ 500/- (अदारी रूपये पाँच सौ) मात्र का आवेदन शुल्क डी.डी. जो कुलसंचय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पक्ष से अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रक्रम में किसी भी परिस्थिति में कुलसंचय का आदेश अन्तिम रूप से प्रभावी एवं गान्य होगा।

क्र.	विषय	अनुगमित आवश्यकता	अध्ययनशाला
1.	धर्मशास्त्र का इतिहास (हिन्दू जैन, बौद्ध धर्म एवं दर्शन)	01	भारती अध्ययन केन्द्र

निर्देशक  
भारती अध्ययन केन्द्र  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

**VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN**  
**APPLICATION**  
**FOR CONSIDERATION AS VISITING SCHOLAR SESSION : 2023-24**

1. Subject for which application is being submitted
2. Name and Date of Birth
3. Father's/Husband's Name
4. Mailing/Postal Address
5. Phone No./Mobile Phone No.
6. E-Mail ID
7. Educational Qualification (From X & class and on wards)



S.No.	Qualification	Pass Year	Pass % (Grade)	Board	Institute University	College
1.	X Class					
2.	XII Class					
3.	Graduation					
4.	Post Graduation					
5.	M.Phil.					
6.	Ph.D.					
7.	NET					
8.	SLAT					
9.	JRF/SRF					
10.	Others					

**8. Details of work experience (Designation, Employers, Duration etc)**

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

**9. Details of Research Publications:**

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

**10. Details of Participation in workshops/seminars/symposiums/Refresher course/orientation course/other academic events. (Attach Details if any)**

**11. Any other Relevant Information:**

Place :  
Date :

(Signature)  
Name:  
Address:

### ग्रामान्वय निर्देश

1. संबंधित पदों पर बनाये गए नोटों को लिए न्यूनतम रीक्षणिक अहंतां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्रप्र सारान अनुसार रहेगी।
2. विजिटिंग विद्वान किरी भी हीरीयता वा विश्वविद्यालय रक्षणता के अन्वयिता नहीं माने जाएंगे।
3. विजिटिंग विद्वानों का आमंत्रण पाठ्यक्रम में आवश्यकता रहने सके अवधि का रांगड़ा तक जो भी धूर्जती हो, अवधि वो लिए ग्रामान्वय द्वारा किया जाएगा।
4. विजिटिंग विद्वानों को आमंत्रण के समय इस बात का भी प्राप्त रखा जाएगा कि उनके विस्तृद्ध पुस्तिरा या न्यायालय में कोई आपत्तिग्रन्थ प्रकरण विचारणीय नहीं है। इसके लिए विजिटिंग विद्वान वो इस आराय का रापथ पत्र देना चाहेगा कि उसके विस्तृद्ध पुस्तिरा या न्यायालय में कोई आपत्तिग्रन्थ विचारणीय नहीं है। साथ ही वह किरी अन्य सातांशीय/अदांशांशीय/अशारकीय सेवा में नहीं है। इस आराय का रापथ पत्र प्रसुत करने के बाद ही उसको व्यालान हेतु आवंशिक किया जाएगा।
5. विजिटिंग विद्वान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एक तत्व दो विद्वान रांगड़ानों में अव्याप्त वर्ष नहीं कर सकेंगे। इस आदेश के अनुसार आमंत्रण की प्रक्रिया गणनीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के विद्वानों के अध्यात्मीय होगी।
6. किसी भी विषयते गे नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति वा पदस्थापना के कारण विजिटिंग विद्वान को कार्यरत नहीं रखा जाएगा।

#### अहंता कालखण्ड :

घटन वरीयता का श्रेणी क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. संबंधित विषय में पीएम.डी. एवं नेट/सेट
2. संबंधित विषय में पीएम.डी. अधिकारी नेट/सेट
3. संबंधित विषय में एमफिल.
4. न्यूनतम अहंता वाले आवेदक (स्नातकोत्तर योग्यताधारी)

- टीप : 1 एवं 2 में आवेदक उपलब्ध न होने पर ही 3 व 4 के आवेदकों पर विधार किया जावेगा।
8. अनुप्रव हेतु अंक :- विजिटिंग विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके हातार पंजीयन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव ये किये गये अव्याप्त कार्य के लिए देय अधिभार अंकों को जोड़कर गणना गे तिया जाएगा। ये अंक आवेदक विजिटिंग विद्वान हारा आवेदन के सामय थोर्टल पर दर्ज किया जाएगे, जिन्हें असत्य पाए जाने पर कार्यात्मक नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग प्रमुख हारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिव्यांगों को ही अनुप्रव के लिए जोड़ा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि विभाग विश्वविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार दो रूप में शामिल किया जाएगा। यह अधिभार अधिकाराम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक रात्र में 151 से 220 कालखण्ड में ग्राम घार अंक एवं 151-100 कालखण्ड के 102 तीन अंक 51 से 100 कालखण्ड के भव्य दो अंक एवं 50 एवं 50 उत्तर भव्य कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा। समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा कर्म को (किसी लेयर छोड़कर) सारान के दिशा निर्देश के अनुलप्त स्नातकोत्तर सार पर ग्रामांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार निःशक्तजन अव्यक्तियों को भी स्नातकोत्तर सार पर ग्रामांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिगार दिया जाएगा।
10. मेरिट अंकों की गणना : स्नातकोत्तर में ग्राम प्रतिशत गे रो 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ जाएगा। उदाहरण के लिए यदि विभी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75 प्रशित अंक प्राप्त किए हैं, अनुरूपित जाति का है, नि: उत्तराजग भी ही स्पष्ट वर्षी वर्ष अनुप्रव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगे : स्नातकोत्तर-25 अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिकार 7.5, निःशक्तजन के लिए अधिकार-7.5, अनुप्रव या अधिभार-20 कुल अंक = 60+40 अंक सातात्कार=कुल 100 अंकों के आधार पर मेरिट दर्नाई जावेगी।

11. वरीयता का निर्धारण : राष्ट्रीयमण विन्दु २ के अनुसार प्रथम योगी की वरीयता भाव्य होगी अर्थात् योगी १ के विजिटिंग विद्वान् ने रावोंगा वरीयता होगी। योगी तथा मैरिट अंक समान होने पर अधिक आयु यासे विजिटिंग विद्वान् को वरीयता दी जाएगी। मैरिट का निर्धारण १०० अंकों से होगा।
12. विजिटिंग विद्वानों ने आपाप्यन पर रांचीत विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।
13. अध्यापन करारे भरने याते विद्वानों को प्रति कालांश ५००/- धर्म गान्धीय दिया जाएगा। हनुमती कार्य अवधि पाठ्यक्रम में आवश्यकता सहने उद्योग सञ्चालन ताक जो भी पूर्वदृष्टि हो रहेगी एवं उत्तराधिकारी संस्थानप्रबद्ध यार्थ करने पर प्रतिक्रिया भिन्नभूतार गान्धीय दिया जाएगा:- (पाठ्यक्रम अध्यापनसामुदार प्रति कालांश रु. ५००/- एक कार्य दियरा में अधिकतम रु. १५००)
- गान्धीय की गणना की विधि :
- कुल भान्डेय = संस्थानप्रबद्ध यार्थ की उपस्थिति कालांशों की राश्ना ५००/- प्रति कालांश  
एक से अधिक कालांश अध्यापन करने याते विद्वान् को न्यूनतम ०५ घण्टे संबंधित विभाग, अध्यापनसामुदार रांचीयन में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा एवं अध्यापन कार्य के अंतिरिक्ष विभाग प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य विभागीय कार्य सम्बन्ध करना आवश्यक होगा।
14. विश्वविद्यालय में आपाप्यन के आपार पर कार्यता विजिटिंग विद्वान् एवं समाजार १५ दिवस तक अनुपस्थित रहना है तो उसका आर्थर्ग रूपतः राष्ट्रीय भान्डा जायेगा।
15. विजिटिंग विद्वान् को सहत अनुसारण बनाए रखना हांगा तथा अध्ययनसामान के विभागाध्यक्ष के निर्देशों का धारन करना अनिवार्य होगा।
16. विजिटिंग विद्वानों द्वारा सम्पूर्ण रात्रि गे किए गए पठन-पाठग कार्य का गूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों की विभिन्न विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के अंतिरिक्ष अंकों विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन एवं विभाग प्रमुख के गूल्यांकन के आपार पर किया जाएगा।
17. अध्ययनसामान में आपाप्तिंग विजिटिंग विद्वानों के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अपीन संरक्षित रहेंगे ताकि इसके गूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।
18. कठाओं के संयोजन के साथ-साथ विभाग प्रगति के निर्देशानुसार प्रसाराकृति कार्य, अकादमिक एवं पाठ्यपत्राकार्यों यथा प्रवेश, परीक्षा प्राप्ति रो संबंधित कार्य, योजनाओं या रांचीलन, रांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युथ चत्तराप आदि गे विजिटिंग विद्वान् सहयोग प्रदान करेंगे।
19. अध्यापन कार्य करने याते एवं एक कालांश से अधिक विजिटिंग विद्वानों को विभाग में प्रतिदिवस न्यूनतम ५ घण्टे रात्रि प्रति समाह न्यूनतम ४० घण्टे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रतिदिवस औरत ७ घण्टे का कार्यकाल अपेक्षित है। विजिटिंग विद्वानों द्वारा प्रतिसप्ताह न्यूनतम १६ घण्टे का ग्रत्यक्ष ग्रिहण किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अंतिरिक्ष एवं ट्यूटोरियल, रेगिस्ट्रियल बलारोग आदि में भी विभाग कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यभार में बुझि भी की जा सकती है। विभागाध्यक्ष द्वारा विजिटिंग विद्वानों वीक्षण/कार्य की समय संरिणी इस प्रकार निर्दिष्ट की जाएगी कि उपरोक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित हो जाए।
20. विजिटिंग विद्वानों के आपावेदनों एवं न्यायालयीन प्रकारणों का निराकरण विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के प्रकाश गे विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
21. आवश्यकतानुसार इन निर्देशों वीक्षण का अंतिग अधिकार कुलसमिति, विभाग विश्वविद्यालय, उपर्यन के

क्र.०। विक्रम विश्वेश्वरालय, उज्जैवल में याहा क्षणित्यो/अंगिधियो/उद्धनी/शासकीय अधिकारी/दिक्ष्य विश्वेश्वर आउटरोर्स आदि से आरोग्यन ठेठु पारिश्रमिक शुगताल के संबंध में विवार। उपर्युक्त विषय में प्रत्युत है कि विश्वेश्वरालय द्वारा उद्धनी विकास प्रक्रोड में बाह्य व्यक्तियों/अंगिधियो/उद्धनी/शासकीय अधिकारियों/दिक्ष्य आहे ए व्याख्यान हेठु रु.५००/-प्रति व्याख्यान नागरेच एवं रु. १००/- याहा असे के रूप में शुगताल की राशि साधाम ल्यौकूल द्वारा भुगतान की जाती रही है। एग्र.ए.ग्रामकन्तुविकेश्वरा में भी विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स से व्याख्यान करायाये गये हैं।

उत्तोः वेळामा विकास प्रक्रोड एवं एम.ए. ग्रामकन्तुविकेश्वर पाल्यक्रम में बाह्य व्यक्तियों/अंगिधियो/उद्धनी/शासकीय अधिकारियों/दिक्ष्य विश्वेश्वर विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से व्याख्यान हेठु रु. ५००/-प्रति व्याख्यान आवादेय एवं रु. १००/- याहान भत्ते के रूप में शुगताल दी गईदृष्टि हेठु प्रयोग कार्यपालिषद..के सबक विचाराल प्रख्युत।

विर्णध लिया गया कि, उद्धनी विकास प्रक्रोड एवं एम.ए. ग्रामकन्तुविकेश्वर पाल्यक्रम में बाह्य व्यक्तियों/अंगिधियो/उद्धनी/शासकीय अधिकारियों/दिक्ष्य विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से आपश्यवत होली पर व्याख्यान हेठु रु. ५००/-प्रति व्याख्यान आवादेय एवं रु. १००/- याहान भत्ते के रूप में शुगताल की व्याकृति प्रदान की गई। क्रियाकार्यन - प्रश्नावान एवं हेला विभाग।

प्रश्नावान को आपको एवं उपर्युक्त विवार की ओर से बहुत धन्यवाद।